

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (36) ग्रावि-5/सां./DI/2018-19

दिनांक 07 मार्च, 2019

जिला कलक्टर,

जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर पात्र चिन्हित परिवारों का विवरण "आवास प्लस ऐप" पर अपलोड किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.19, 28.02.19, 05.03.2019 एवं 6.3.19


उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक J-11060/14/2017-RH(M&T) Dated 8-02-2019 के द्वारा स्थाई वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र परिवारों का विवरण "आवास प्लस ऐप" पर दर्ज किये जाने की अवधि दिनांक 30.11.18 से बढ़ा कर दिनांक 7.3.19 या आदर्श आचार संहिता लागू होने तक निर्धारित की गई है।

विभागीय प्रासांगिक पत्र दिनांक 13.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में पात्र व्यक्तियों को नाम जोड़े जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम में जिला स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी से अनुमोदित प्राप्त सूची का मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की बैठक दिनांक 05.03.2019 में अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

विभागीय प्रासांगिक पत्र दिनांक 05.03.2019 द्वारा चिन्हित पात्र परिवारों की सूचना मय जियो-टैगिंग "आवास प्लस ऐप" पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक 07.03.2019 से पूर्व ही अपलोड किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपलोडिंग से संलग्न सूची अनुसार शेष रहे चिन्हित पात्र परिवारों की सूचना मय जियो-टैगिंग "आवास प्लस ऐप" पर आज दिनांक 07.03.2019 तक आवश्यक रूप से अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।


स्टेट नोडल अधिकारी—PMAY-G

बंधित पात्र परिवारों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल चिह्नित बंधित पात्र परिवार	23 व 24 फरवरी की ग्राम सभाओं के कम में जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र परिवारों की संख्या	आवास प्लस पर अपलोड परिवार		"आवास प्लस ऐप" पर अपलोड से शेष परिवारों की संख्या
				अपलोड कुल परिवार	23 व 24 फरवरी की ग्राम सभाओं के कम में से अब अपलोड किये गये परिवार	
1	2	3	4	5	6	7
1	AJMER	49133	25940	25890	2697	23243
2	ALWAR	28812	16325	15059	2572	13753
3	BANSWARA	143813	55039	107073	18299	36740
4	BARAN	122133	58631	65845	2343	56288
5	BARMER	162368	47396	131690	16718	30678
6	BHARATPUR	21486	11534	10118	166	11368
7	BHILWARA	100824	34786	73346	7308	27478
8	BIKANER	105074	44977	64692	4595	40382
9	BUNDI	68744	12581	51803	-4360	16941
10	CHITTORGARH	55123	15756	39728	361	15395
11	CHURU	31103	5493	31039	5429	64
12	DAUSA	11911	5207	8144	1440	3767
13	DHOLPUR	11450	3959	9061	1570	2389
14	DUNGARPUR	104682	28379	84732	8429	19950
15	HANUMANGARH	50468	14958	37551	2041	12917
16	JAIPUR	40135	20000	23277	3142	16858
17	JAISALMER	79371	53678	48623	22930	30748
18	JALORE	48924	21497	28021	594	20903
19	JHALAWAR	147094	47479	106237	6622	40857
20	JHUNJHUNU	5037	1283	4184	430	853
21	JODHPUR	139204	64944	77032	2772	62172
22	KARALI	81947	61389	35457	14899	46490
23	KOTA	46940	12741	34516	317	12424
24	NAGAU	85659	45883	43279	3503	42380
25	PALI	41253	11341	32935	3023	8318
26	PRATAPGARH	67675	24330	51507	8162	16168
27	RAJSAMAND	47263	18482	34613	5832	12650
28	SAWAI MADHOPUR	69020	18889	51004	873	18016
29	SIKAR	8818	2840	7633	1655	1185
30	SIROHI	41541	12315	29079	-147	12462
31	SRI GANGANAGAR	73369	12933	60863	427	12506
32	TONK	95033	37661	61793	4421	33240
33	UDAIPUR	172390	46330	139162	13102	33228
	Total	2357797	894976	1624986	162165	732811